प्रकरण संख्या 26/2024 सुरेन्द्र व अन्य बनाम श्रीमती निर्मला देवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कारछा कला की साबिक आराजी नंबर 1 रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा में से 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता स्वर्गीय धूला मीणा को मिसल संख्या 492/72 दिनांक 14.11.1976 को आवंटित हुई थी, जो नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 01.12.1976 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका बटा नंबर 4107/1 रकबा 9 बीघा 10 दर्ज किया गया। वादिया के पिता धूला जी की मृत्यु दिनांक 11.01.1989 को हो गयी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। वक्त सेटलमेन्ट 9 बीघा 10 से बनने वाले रकबा 2.0520 हैक्टर के स्थान पर केवल 0.2500 हैक्टर ही दर्ज की गयी तथा उसके नये नंबर 52 से 55 अंकित किये गये। इस प्रकार वादिया के पिता के नाम 1.8020 हैक्टर भूमि कम दर्ज हुई है, जिसे साबिक मिलान से बनने वाले हाल नंबर 44, 46, 48, 59, 50, 51, 59 में सम्मिलित कर लिया गया है, उसमें से कमी कर वादिया एवं उसकी माता व भाईयों के नाम दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। धूला जी की मृत्यु के बाद सहवन से वादिया का नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे वादिया घोषणा की अधिकारिणी हैं। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर साबिक आराजी नंबर 4107/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले कमी दर्ज रकबा जो प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के नाम नये आराजी नंबर 44, 46, 48, 59, 50, 51, 59 में सम्मिलित कर लिया गया है, उसमें से कमी कर वादिया एवं उसकी माता व भाईयों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया को 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा [illegible] जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही प्रति[illegible] किया कि उनके पिता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:49:34 IST
Reason: SelfAttested

धूला जी को आवंटित 9 बीघा 10 का हाल रकबा 2.0520 बनता है, जबकि उनके खाते में सिर्फ 0.2500 हैक्टर भूमि ही दर्ज की गयी है, शेष 1.8020 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के नाम दर्ज नये आराजी नंबर 44, 46, 48, 59, 50, 51, 59 में सम्मिलित कर जी गयी, जिमसें से 1.8020 हैक्टर का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 5 तनकियां कायम की गयी तथा वादिया का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का प्रतिदावा अदम शहादत अदम सबूत के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को अभी हाल हीं में दिनांक 24.04.2024 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2024 के विरूद्ध अपील दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 26.04.2024 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 25 दिन का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा वर्णित तथ्यों को

पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 1 रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा में से 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता धूला जी को मिसल संख्या 492/72 से दिनांक 14.11.1976 को आवंटित की गयी है, जिसका बटा नंबर 4007/1 कायम किया गया। साबिक रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में मुकाबले अपीलान्ट के पिता के खाते में सिर्फ 0.2500 हैक्टर भूमि ही दर्ज की गयी है एवं 1.8020 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गयी है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि साबिक के मुकाबले रकबा कम दर्ज हुआ है, जो किसी मौखिक साक्ष्य का मोहताज नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवादित आराजी नंबर 44, 46, 48, 49, 50, 51, 59 में से 1.8020 हैक्टर में से अपीलान्ट द्वारा भूमि चाही गयी है, जो राजस्व रेकार्ड में चारागाह होकर किस्म पहाड़ दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 01.12.1976 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नंबर 1 रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता धूला को आवंटित हुआ था तथा मैट्रिक प्रणाली अनुसार 9 बीघा 10 बिस्वा का रकबा 2.0520 हैक्टर बनता है, जबकि हाल जमाबन्दी में अपीलान्टगण के खाते में मात्र 0.2500 हैक्टर रकबा ही दर्ज है। इस प्रकार 1.8020 हैक्टर रकबा अपीलान्टगण के खाते में दर्ज होना स्पष्ट है। इस संबंध में अपीलान्टगण का कथन है कि उनका कमी रकबा हाल आराजी नंबर 44, 46, 48, 49, 50, 51, 59 में सम्मिलित कर लिया गया है, किन्तु हाल आराजी नंबर 46, 48, 49, 50, 51, 59

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया है, किन्तु प्रकरण में यह सुपष्ट है कि अपीलान्ट के खाते में साबिक के मुकाबले 1.8020 हैक्टर भूमि कम दर्ज हुई है, जिसे अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विवेचन किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 85/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested